



भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (भामृजसंस)  
ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation (IISWC),  
अनुसंधान केन्द्र, कोटा- 324002(राजस्थान)



Research Centre, Dadwara, Kota - 324002 (Rajasthan)

दूरभाष / Tel : 0744-2462642 ईमेल / E-mail : kotacentre.iiswc@gmail.com, shakir.ali2@gmail.com

File No. 1(60)/Horti/2022-23/S&P/1029-1030

Date: 27.01.2023

### नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को अवगत कराया जाता है कि इस केन्द्र के अनुसंधान प्रक्षेत्र, कोटा पर 16 हैक्टेयर में सरसों की तैयार खड़ी फसल का विक्रय खुली नीलामी (Open Auction)(सीलबंद लिफाफे में)के आधार पर दिनांक 08 02.2023 को अपराहन 3.30 बजे तक व्याख्यान कक्ष, अनुसंधान केन्द्र कोटा पर किया जायेगा। इस नीलामी की नियम एवं शर्तों का विवरण निम्न प्रकार से है :

नीलामी की नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार से है :-


- उपर्युक्त 16 हैक्टेयर में सरसों की तैयार खड़ी फसल की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को दिनांक 08.02.2023 तक अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी। पंजीकरण कराते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी :-
  - पंजीकरण राशि रु. 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र) नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो कि OIC, CSWCRTI, KOTAके पक्ष में देय हो
  - बोलीदाता के आधार कार्ड की प्रतिलिपी।
  - बोलीदाता के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ जिसमें उनकी फोटो/नाम आदि का विवरण हो की प्रतिलिपी।
  - बोलीदाता के पेन कार्ड की प्रतिलिपी, यदि है।
  - बोलीदाता के जी0एसी0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपी, यदि है।
- अधिकतम बोलीदाता की पंजीकरण राशि को केन्द्र के पास नीलामी ठेका प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सुरक्षित रखा जायेगा तथा अन्य बोलीदाताओं की पंजीकरण राशि को बोली प्रक्रिया के पश्चात वापिस कर दिया जायेगा।
- नीलामी स्थल पर जिन व्यक्तियों द्वारा अपना पंजीकरण कराया जायेगा, केवल वे व्यक्ति सीलबंद लिफाफे में अकिंत राशि के साथ नीलामी समिति के समक्ष उपस्थित रहते हुए बोली दर का लिफाफा प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा।
- सरसों की तैयार खड़ी फसल का नीलामी का आधार सीलबंद लिफाफे में अधिकतम बोली दर होगी।
- बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति अपनी रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करेगी तथा अधिकतम बोलीदाता के प्रस्ताव पर केन्द्र के सक्षम अधिकारी महोदय के निर्णय के उपरांत ही उनकी बोली स्वीकार की जायेगी एवं इसके पश्चात ही उन्हें नीलामी आदेश जारी किये जायेंगे। अधिकतम बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार केन्द्राध्यक्ष महोदय के पास सुरक्षित रहेगा।
- सफल बोलीदाता को नीलामी के तुरन्त पश्चात् कुल नीलामी राशि की 25% राशि केन्द्रमें डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि OIC, CSWCRTI, KOTAके पक्ष में देय हो जमा करानी होगी।
- सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी की 25% राशि उपरोक्तानुसार ना जमा कराये जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा करायी गयी पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जायेगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- सफल बोलीदाता नीलामी राशि का शेष 75% स्वीकृति आदेश जारी होने के अगले दिन केन्द्र में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि OIC, CSWCRTI, KOTAके पक्ष में देय हो जमा करानी होगी।

9. सफल बोलीदाता को उपरोक्त शेष 75% नीलामी राशि के साथ-साथ नीलामी ठेके का अनुबंध पत्र रू0 100/- के नॉन-जुडिशियल स्टॉप पेपर में नोटराईज्ड प्रस्तुत करना होगा। इस अनुबंध पत्र का प्रारूप केन्द्र द्वारा स्वीकृति आदेश के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
10. निश्चित समय अवधि में उपरोक्त 75% राशि जमा नहीं करायी जाने तथा अनुबंध पत्र प्रस्तुत ना किये जाने की स्थिति में सफल बोलीदाता के पक्ष में छोड़ी गयी नीलामी को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा करायी गयी पंजीकरण राशि तथा नीलामी की 25% जमा करायी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा केन्द्र सरसों की तैयार खडी फसल की पुनः या अन्य निर्णय नीलामी किये जाने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।
11. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि के अतिरिक्त कुल नीलामी राशि का 10 प्रतिशत राशि नीलामी ठेके की धरोहर राशि (सिक्वोरिटी राशि) के रूप में उपरोक्तानुसार नीलामी राशि के साथ-साथ जमा करानी होगी। यह राशि नीलामी ठेका अवधि 60 दिवस पूर्ण होने के बाद आवंटित किये गये ठेके का संतोषप्रद संचालन किये जाने की स्थिति में ही संबंधित बोलीदाता को वापिस की जायेगी। ठेकेदार द्वारा प्रक्षेत्र में किसी प्रकार के नुकसान पहुँचाने अथवा ठेके का संचालन संतोषप्रद ना करने पर यह राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष नुकसान, यदि कोई है को उनसे अलग से वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।
12. बोलीदाताओं द्वारा जमा करायी गयी किसी भी राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा।
13. सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी के संदर्भ में जमा करायी जाने वाली संपूर्ण राशि की व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा की जानी होगी। किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते से उक्त राशि का भुगतान/जमा कराये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि नीलामी ठेका अवधि के दौरान किसी भी समय केन्द्र के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि ठेकेदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते से भुगतान किया गया है तब ऐसी स्थिति में ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ठेके से सम्बन्धित सभी राशि को जब्त कर लिया जावेगा जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को ब्लेकलिस्ट भी कर दिया जायेगा।
14. सफल बोलीदाता के पक्ष में नीलाम की गयी सरसों की तैयार खडी फसल की देख-रेख, सुरक्षा, कटाई इत्यादि तथा सरसों की फसल को फार्म प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार तथा उसके कर्मचारियों की होगी। केन्द्र इस सन्दर्भ में ठेकेदार को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेगा। नीलामी ठेका आवंटन के पश्चात फसल में किसी भी प्रकार के नुकसान की जिम्मेदारी केन्द्र की नहीं होगी।
15. सफल निविदादाता द्वारा अपने कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों द्वारा यदि केन्द्र के किसी भवन, पेड व अन्य सम्पत्ति को हानि पहुँचायी जाती है तब ऐसी स्थिति में केन्द्र के सक्षम अधिकारी द्वारा समिति का गठन करते हुए नुकसान का आंकलन किया जायेगा जिसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
16. सफल बोलीदाता को नीलामी ठेके का संचालन, फसल की कटाई इत्यादि का कार्य स्वयं अपनी देख-रेख में ही पूर्ण करना होगा। सम्बन्धित ठेकेदार आवंटित किये गये ठेके में किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर, नॉमिनी घोषित नहीं करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नीलाम किये गये ठेके का कोई मुख्तारनामा, विक्रयनामा, प्रतिनिधि की नियुक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को ठेका स्थानांतरित इत्यादि की कार्यवाही नहीं करेगा। यदि ठेकेदार का इस प्रकार का कृत्य किसी भी समय केन्द्र के संज्ञान में आता है तब यह ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए ठेके से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जमा करायी हुयी सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी तथा ठेकेदार पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
17. सरसों की फसल में अनुसंधान से सम्बन्धित यदि कोई सैम्पल लिया जाना है तथा अन्य कार्य किये जाने हैं तो यह कार्य केन्द्र के वैज्ञानिको/अधिकारियों/कर्मचारियों की देख-रेख में पूर्ण किये जायेंगे जिसके लिए ठेकेदार को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

18. ठेका संचालन में ठेकेदार द्वारा लगाये गये अपने कर्मचारियों को यदि किसी प्रकार की जान-माल की हानि होती है तो उसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा। केन्द्र इस प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार के हर्जाने के लिए जिम्मेदार होगा। अतः श्रमिकों से संबंधित सभी नियमों की पालना व क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
19. ठेका संचालन में केन्द्र किसी भी प्रकार से कोई श्रमिक उपलब्ध नहीं करायेगा तथा ना ही किसी प्रकार का कोई औजार, लाठी, टॉर्च आदि की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
20. ठेकेदार द्वारा सरसों की फसल की पहरेदारी, निगरानी व कटाई आदि हेतु कार्य पर लगाये गये श्रमिकों का पूर्ण विवरण तथा आधार कार्ड की प्रतिलिपी सत्यापित करते हुए प्रभारी प्रक्षेत्र अधीक्षक को जमा करानी होगी, उक्त सूचना के अभाव में किसी भी ठेकेदार श्रमिक को फार्म में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
21. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की कानूनी प्रक्रिया पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी जैसे कि पुलिस द्वारा सत्यापन अथवा अन्य नियमों या कोई भी हर्जाने/इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
22. यदि ठेकेदार फसल के नजदीक रखवाली के लिए अथवा फसल को तोड़कर रखने के लिए अस्थायी टेंटनुमा झोपडी बनाना चाहे तो प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देकर अनुमति लेनी होगी।
23. ठेके से संबंधित किसी भी मामले के लिए ठेकेदार केवल प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र अथवा प्रक्षेत्र अधीक्षक से संपर्क करेगा।
24. ठेकेदार फील्ड से प्राप्त फसल की उपज संबंधित जानकारी आवश्यकतानुसार उपज के आंकलन हेतु प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र को देंगे।
25. यदि उक्त ठेके के सन्दर्भ में ठेकेदार व केन्द्र के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान केन्द्राध्यक्ष महोदय द्वारा गठित समिति के माध्यम से संबंधित ठेकेदार के साथ बातचीत कर किया जायेगा। यदि आपसी बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलता है तब ऐसी स्थिति में संस्थान के निदेशक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार को मान्य होगा।
26. सरसों की तैयार खडी फसल की स्थिति का आंकलन बोलीदाता को बोली लगाने (सीलबंद लिफाफे में) से पूर्व करते हुए तथा पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हुए ही अपनी बोली प्रस्तुत करने का सुझाव दिया जाता है। यदि मौसम अथवा किसी अन्य कारण से फसल को नुकसान होता है, इत्यादि की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की वार्ता/कथन/शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
27. इच्छुक बोलीदाता इस नीलामी नोटिस के प्रकाशन के तुरन्त बाद से अनुसंधान प्रक्षेत्र, कोटा में उपर्युक्त सरसों की तैयार खडी फसल का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से अपराहन् 12:30 बजे तथा अपराहन् 02:00 बजे से सांय 05:00 बजे के बीच प्रक्षेत्र अधीक्षक की अनुमति/निगरानी में कर सकते हैं।
28. बिना कोई कारण बताये इस ठेके से सम्बन्धित प्राप्त बोलियों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त किये जाने के पूर्ण अधिकार केन्द्राध्यक्ष महोदय के पास सुरक्षित होंगे।
29. यदि नीलामी की तिथि को किसी प्रकार का अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी की कार्यवाही अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर ही पूर्ण की जायेगी तथा इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।
30. इस ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार कोटा न्यायालय होगा।
31. नीलामी 45 दिन की अवधि के लिये मान्य होगी।

उपर्युक्त नीलामी ठेके से संबंधित सभी अधिकार केन्द्र के अध्यक्ष महोदय के पास सुरक्षित रहेंगे। वह किसी एक अथवा सभी बोली दाताओं द्वारा दी गई दर को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।

अतः नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं

  
(केन्द्राध्यक्ष)  
23/01/23

## बोलीदाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

(यह घोषणा पत्र रु. 100/- के नॉन-जुडिशियल स्टॉप पेपर में नोटराईज्ड कर प्रस्तुत करना होगा)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने भा0कृ0अ0प0-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कोटा में सरसों की तैयार खड़ी फसल की नीलामी हेतु जारी नीलामी सूचना/नोटिस सं0 1(60)/Horti/2022-23/S&P/दिनांक.01.2023 में अंकित निविदा सूचना को संस्थान के website: www.cswcrtiweb.org से डाउनलोड कर भली-भांति पढ़ा गया एवं इसे पूर्ण रूप से समझने के बाद ही मैं नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रस्तुत हो रहा हूँ। मैं नीलामी नोटिस में अंकित सभी नियम एवं शर्तों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ तथा यदि किसी प्रस्थिति में मेरे पक्ष में आवंटित ठेके में कोई विवाद उत्पन्न होता है और वह विवाद कानूनी कार्यवाही का रूप ले लेता है तब एसी स्थिति में निविदा पत्र में दिये गये सभी नियम एवं शर्तों का पालना करने हेतु मैं पूर्ण रूप से बाध्य रहूँगा।

मैंने इस नीलामी नोटिस की सभी नियम एवं शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ व समझ लिया है तथा नीलामी प्रक्रिया अथवा ठेका मेरे नाम छूटने की स्थिति में नीलामी अवधि तक मैं इन नियम व शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करेंगे। यदि मेरे द्वारा नीलामी ठेका नियम व शर्तों का किसी भी समय उल्लंघन किया जाता है तो केन्द्राध्यक्ष, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कोटा को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस नीलामी ठेके के संबंध में अंतिम निर्णय लें तथा उनके द्वारा लिया गया निर्णय हमें पूर्ण रूप से मान्य होगा।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मुझे/हमारी फर्म भारत सरकार/राज्य सरकारों के किसी भी विभागों तथा उपक्रमों द्वारा किसी भी प्रकार से ब्लेकलिस्टेड नहीं किया गया है। यदि इस संबंध में केन्द्र को किसी भी समय कोई सूचना प्राप्त होती है तो केन्द्र मुझे ठेके की प्रक्रिया से बाहर कर सकता है। यदि मेरे नाम नीलामी ठेका छूटने के पश्चात भी मेरे ब्लेकलिस्ट होने की सूचना केन्द्र को प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में भी केन्द्र इस ठेके को निरस्त कर सकता है तथा हमारे द्वारा केन्द्र में जमा करायी गयी संपूर्ण राशि को जब्त कर सकता है। यदि मेरे द्वारा इस संबंध में कोई भी तथ्य छुपाया जाता है तो इसके लिए मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूँगा तथा केन्द्र द्वारा नीलामी ठेके की जब्त की गयी राशि तथा अन्य कार्यवाही के संबंध में कोई भी वाद दायर नहीं करूँगा/करेंगे।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार को कोई कानूनी/अपराधी केस किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

मैं केन्द्र को यह अधिकार देता हूँ कि वह मेरे द्वारा ठेका नीलामी से संबंधित केन्द्र में जमा करायी गयी धनराशि के संदर्भ में वह संबंधित बैंक से आवश्यक जानकारी ले सकता है तथा इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है/होगी।

मैंने उपरोक्त घोषणा को भली प्रकार से पढ़/समझ लिया है तथा मैं इसे अपने पूर्ण होशोहवास में हस्ताक्षरित कर रहा हूँ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर .....

बोलीदाता/फर्म की मोहर, यदि है .....

नाम .....

पत्राचार का पता .....

सम्पर्क फोन/मोबाईल नं0 .....



भा. कृ. अनु. प., भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान,  
अनुसंधान केन्द्र, डडवाड़ा, कोटा जं.- 324002 (राजस्थान)

कंमाक:-1(60)/Horti/2022-23 /S&P/

दिनांक 27.01.2023

:: खुली नीलामी ::

इच्छुक ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि इस केन्द्र के अनुसंधान फार्म में दिनांक 08.02.2023 को अपरान्ह 3.30 बजे 16 हैक्टर पर खड़ी सरसों की तैयार फसल की खुली नीलामी (Open Auction) सील बन्द लिफाफे के द्वारा की जानी है। जिसके लिये रु. 15,000/-पंजीकरण राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट OIC,CSWCRTI,Kota के नाम से बोली में हिस्सा लेने की तिथि से पूर्व जमा कराना होगा। नीलामी से सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारी वेबसाईट [www.cswcrtiweb.org](http://www.cswcrtiweb.org) पर से प्राप्त की जा सकती है अथवा केन्द्र से भी ली जा सकती है।

केन्द्राध्यक्ष